राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdbed.cce@gmail.com and jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमाकः–एफ24 (NOC22-23)/बी.एड/आकाशि/2022/140 दिनांकः– 19/04/2022

आदेश

पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश के अनुसरण में निम्नलिखित निजी विश्वविद्यालय को सत्र 2022–23 के लिए **बी.पी.एड.(2 वर्षीय)** पाठ्यक्रम के संचालन हेतु केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु पीबीपीएड काउन्सलिंग में सम्मिलित होने के लिए अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी अनुमति एतद्द्वारा जारी की जाती है:–

क्र. स.	संस्था का नाम व पता	पाठ्यक्रम का नाम	एन.सी.टी.ई के मान्यता आदेश क्रमाकं व दिनांक	सीट संख्या	सहशिक्षा / महिला
1	**MEWAR UNIVERSITY,** **Gangrar, Chittorgarh, Raj.-312901**	B.P.ED. (2Year)	WRC/NCTE/COMMON RECOGNITION ORDER/214842(30) dated 03-03-2021 **Corrigendum Order** WRC/NCTE/NRCAPP-2752/2021/ 215220 dated 19-03-2021	100 Students	सहशिक्षा

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:–

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2022 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड 2022 के माध्यम से पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड परीक्षा 2022 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
5. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
6. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगें।
7. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
   1– एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश।
   2– राज्य सरकार द्वारा जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
   3– अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची।
   4– संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4) विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. समन्वयक–(एम.एड., बी.एड.–एम.एड.,बी.पी.एड. व एम.पी.एड) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
6. रजिस्ट्रार, मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार, चितौड़गढ़।
7. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी–7,सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075।
8. सचिव/प्राचार्य, संबंधित संस्था/विश्वविद्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर।